

कार्यालय उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी (ना०)

करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

जन सुनवाई हेतु सूचना

(हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत)

जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से सुन्नी में प्रस्तावित सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना के लिए करसोग की 4 पंचायतों में भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात/प्रभाव इकाई द्वारा अधिनियम 4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अधीन सामाजिक प्रभाव/समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत इस नोटिस के द्वारा सभी सम्बंधित लोगों से सामाजिक प्रभाव/समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना को (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित) के संदर्भ में प्रतिक्रिया/विचार आमंत्रित किए जाते हैं ताकि अन्य अतिरिक्त सूचना/विचार जो उपयुक्त समझे जाएँ को अंतिम रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रभावी है द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, मैं अपूर्व देवगन, उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी करसोग, जिला मण्डी निम्नानुसार जन सुनवाई हेतु समय/दिनांक व स्थान अधिसूचित करता हूँ:

ग्राम पंचायत सभा	दिनांक	समय	स्थान
बिन्दला	21/06/2019	11:00 AM-2.00 PM	पंचायत घर
परलोग	22/06/2019	11:00 AM-2.00 PM	पंचायत घर
सरतयोला	01/07/2019	11:00 AM -2.00 PM	पंचायत घर
शावोट	02/07/2019	11:00 AM -2.00 PM	पंचायत घर

अतः कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसे उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में आपत्ति हो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथी के 3 सप्ताह के भीतर, जन सुनवाई के दिन लिखित में मेरे समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। यह रिपोर्ट उपायुक्त मंडी व उपमंडल दंडाधिकारी (ना) करसोग व प्रधान ग्राम पंचायत बिन्दला, सरतयोला, परलोग व शावोट के कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में सर्व साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गयी है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट

www.himachal.nic.in/hipa व एस जे वी एन एल की वेबसाइट(www.sjvn.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

सम्पत्ति का विवरण

क्र० स०	ज़िला	उप मंडल	तहसील	पंचायत	मोहाल	क्षेत्र हेक्ट० में
1.	मण्डी	करसोग	करसोग	विन्द्ला	भौरा	02-90-55
2.					बलोग	01-72-13
3.				सरत्यूला	जकलीन	00-49-81
4.				परलोग	फाफन	00-63-08
5.					परलोग	01-17-22
6.					बेल्मुढोक	01-98-23
7.				शावीट	खरधाली	00-03-21

आज दिनांक 31 मई 2019 को मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी



उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी (ना०)
करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश